

फोटो

प्रारूप – 8 (अ-1)
(अनुसूची-3-11 (i) (ii) स्नातक पाठ्यक्रम हेतु)
ग्रामीण सेवा बाण्ड शपथ पत्र

(मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में स्टेट कोटा अथवा ऑल इंडिया कोटे से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी के लिये)
(रु. 5,000/- or 2,500/- के नाम जूडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जावे)

1. मै (छात्र/छात्रा का नाम)

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

निवासी –

इस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र **2025–26** में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ।

2. मैंने मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 तथा संशोधन दिनांक 19.06.2019, 05.10.2021, 26.07.2022, 10.05.2023, 02.07.2024 को भली भांति पढ़कर समझ लिया है।
3. मैं एतद्वारा यह बंध पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि :–
- अ – मैं चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम (MBBS Course) पूर्ण करने के उपरात शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर विहित अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा।
- ब – विहित अवधि जो कि शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर एक वर्ष शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर सेवाएं न देने की स्थिति में मैं शासन को रु0 10 लाख (अनारक्षित वर्ग हेत) रु0 5 लाख (आरक्षित वर्ग हेतु) भुगतान करने का वचन देती/देता हूँ।
- स – अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने की स्थिति में विहित अवधि जो कि शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर 2 वर्ष की सेवा देने अथवा रु0 10 लाख भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ।
- द – विहित अवधि जो कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना / मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना का लाभ शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर 2 वर्ष की सेवा देने अथवा रु0 10 लाख भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ।
- ध – यह कि ग्रामीण सेवा न करने / बॉण्ड राशि जमा न करने की स्थिति में मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा कराये गये मूल दस्तावेज जिसमें प्रवेश के समय जमा कराये गये दस्तावेज तथा एम.बी.बी.एस. प्रथम, द्वितीय, फाईनल पार्ट 1 एवं फाईनल पार्ट 2 की अंकसूची भी सम्मिलित है वापस नहीं किये जायेंगे।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह (हस्ताक्षर, नाम, पता, मोबाइल नम्बर)

1.

2.